न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**
अध्यक्ष

प्रकरण कमांक निगरानी 1668–पीबीआर/14 विरूद्ध आदेश दिनांक 23–4–14 पारित द्वारा नायब तहसीलदार, शहर वृत भोपाल प्रकरण कमांक 49/बी–121/08–09.

श्रीमती मुन्नीदेवी बाथम (मृत)
द्वारा उत्तराधिकारी–
अ– डी.पी. बाथम, पति
ब– सूर्यप्रकाश बाथम, पुत्र
स– चन्द्रप्रकाश बाथम, पुत्र
द– वीरेन्द्रप्रताप बाथम, पुत्र
इ– श्रीमती अर्चना बाथम, पुत्री
निवासीगण बरखेड़ी, भोपाल .....आवेदकगण

विरूद्ध

1– म.प्र. शासन द्वारा कलेक्टर जिला भोपाल
2– राजा खान पुत्र स्व. श्री शबीब अहमद खान
निवासी 12, जवाबित लाईन, लिली टाकीज
बरखेड़ी, भोपाल .....अनावेदकगण

श्री बी.के. श्रीवास्तव, अभिभाषक, आवेदकगण

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 16/7/15 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत नायब तहसीलदार, शहर वृत भोपाल द्वारा पारित आदेश 23–4–14 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि विधायक, म0प्र0 विधान सभा जिला शहडोल द्वारा दिनांक 27–8–08 को कलेक्टर जिला भोपाल को इस आशय का पत्र लिखा गया कि श्रीमती मुन्नी देवी बाथम (मृत) पत्नी डी.पी. बाथम द्वारा भोपाल शहर नजूल शीट क्रमांक 230 के सर्वे क्रमांक 20522, 20548 एवं 20550 दरबार भोपाल स्थित बरखेड़ी जहांगीराबाद की शासकीय जमीन में मकान बनाकर अतिक्रमण किया गया है, अतः अतिक्रमण को तत्काल हटाया जाये । उक्त पत्र तहसीलदार, वृत नजूल शहर भोपाल को प्राप्त होने पर उनके द्वारा प्रकरण क्रमांक 49/बी–121/80–09 दर्ज कर कार्यवाही प्रारंभ की गई । कार्यवाही प्रचलित रहने के दौरान राजा खान द्वारा दिनांक 10–9–13 को आवेदन पत्र प्रस्तुत कर पक्षकार बनाये जाने का निवेदन किया गया । तहसील न्यायालय द्वारा दिनांक 23–4–14 को आदेश पारित कर राजा खान को पक्षकार बनाये जाने के आदेश दिये गये । तहसील न्यायालय के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि आपत्तिकर्ता, शिकायतकर्ता है और शिकायतकर्ता प्रकरण में आवश्यक पक्षकार नहीं है, ऐसी स्थिति में तहसील न्यायालय द्वारा आवेदक को पक्षकार बनाये जाने में अवैधानिकता की गई है । यह भी कहा गया कि आवेदकगण द्वारा अपनी भूमि पर मन्दिर का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें अवरोध पैदा करने के उद्देश्य से आपत्तिकर्ता द्वारा तहसील न्यायालय में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है

4/ अनावेदक क्रमांक 2 राजा खान द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदकगण द्वारा शासकीय भूमि पर अतिक्रमण कर निर्माण कार्य किया जा रहा है इसलिए वह समुचित जानकारी अधीनस्थ न्यायालय के संज्ञान में लाना चाहता है, इसी कारण तहसील न्यायालय द्वारा उसे पक्षकार बनाये जाने में किसी प्रकार की कोई अवैधानिकता नहीं की गई है । यह भी कहा गया कि अनावेदक क्रमांक 2 अवैध अतिक्रमण से संबंधित दस्तावेज तहसील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना चाहता है । अतः उसे पक्षकार बनाने में तहसील न्यायालय द्वारा उचित कार्यवाही की गई है । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि चूंकि शिकायतकर्ता के आवेदन पत्र पर ही तहसील न्यायालय द्वारा प्रकरण दर्ज किया गया

है, इसलिए वह प्रकरण में हितबद्ध पक्षकार हैं । उसके द्वारा निगरानी निरस्त करने का अनुरोध किया गया ।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । तहसील न्यायालय के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि तहसील न्यायालय द्वारा इस निष्कर्ष के साथ अनावेदक कमांक 2 राजा खान को पक्षकार बनाया गया है कि विभिन्न न्यायालयों में प्रचलित प्रकरणों में आवेदकगण एवं अनावेदक कमांक 2 राजा खान पक्षकार हैं और सम्पूर्ण दस्तावेज उपलब्ध कराने व एक–दूसरे पर किये गये काउण्टर क्लेम की जानकारी उपलब्ध कराने की शर्त पर अनावेदक कमांक 2 राजा खान को पक्षकार बनाया जाना उचित होगा । तहसील न्यायालय की उक्त कार्यवाही में किसी प्रकार की कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता परिलक्षित नहीं होती है । इस संबंध में आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक का यह तर्क मान्य किये जाने योग्य नहीं है कि आपत्तिकर्ता प्रकरण में आवश्ययक पक्षकार नहीं है क्योंकि तहसील न्यायालय द्वारा स्पष्ट निष्कर्ष निकाला गया है कि प्रश्नाधीन भूमि के संबंध में विभिन्न न्यायालयों में प्रचलित प्रकरणों में आवेदक एवं अनावेदक कमांक 2 राजा खान पक्षकार हैं । इस प्रकार तहसील न्यायालय द्वारा पारित आदेश वैधानिक होने से हस्तक्षेप योग्य नहीं है ।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर नायब तहसीलदार, शहर वृत भोपाल द्वारा पारित आदेश 23–4–14 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर